



न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ़ जिला-अलवर

(पीठारीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 03/55/2025

ऑनलाईन नम्बर:- 2025/237

प्रवेश तिथि:-06.08.2025

1. गुडडी देवी पत्नी श्री सुखलाल सैनी निवासी पटायरी की डूंगरी राजगढ़ जिला अलवर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, जिला अलवर
2. तहसीलदार महोदय, राजगढ़ जिला अलवर।



.....प्रार्थीया

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री सुभाष सैनी एड0-प्रार्थीया

-:निर्णय:-

दिनांक:-17/12/2025

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 132 खसरा नम्बर 1308/0.13 वाके ग्राम कारोड तहसील राजगढ़ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी प्रार्थीया को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 13.10.2010 सके प्राप्त की है। जिस बयनामे के आधार पर प्रार्थीने के पक्ष में इंतकाल संख्या 911 दिनांक 04.11.2010 को दर्ज हो स्वीकार हुआ है। जिसके बावजूद उक्त आराजी की हाल जमाबन्दी में प्रार्थीने के नाम सुवालाल दर्ज कर दिया। जबकि प्रार्थीने के पति का नाम अन्य रिकार्ड में सुखलाल दर्ज रिकार्ड करा लिया है। उक्त गलत इन्द्राज से प्रार्थी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरुस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर प्रार्थीने के पति का सही नाम सुखलाल दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये। हाजा न्यायालय के पत्रांक क्रमांक कोर्ट/आर.ए./धारा-136/2025/200 दिनांक 06.08.2025 से तहसीलदार राजगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ़ के पत्रांक क्रमांक/भूअ./2025/2042 दिनांक 17.10.2025 की भौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि शामिल पत्रावली है। मुताविक हाल राजस्व रिकार्ड आराजी खाता संख्या 132 खसरा नम्बर 1308/0.13 वाके ग्राम कारोड तहसील राजगढ़ में प्रार्थीया के पति का नाम सुवालाल सा0 देह खातेदार दर्ज है। तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट से साबित है कि सुवालाल व सुखलाल एक ही व्यक्ति है। जिसका सही जिनका सही नाम सुखलाल होना बताया गया।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

3. बहस वकूलाय सुनी गई। दौरान-ए-बहस वकूलाय द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थीया की आराजी खाता संख्या 132 खसरा नम्बर 1308/0.13 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम सहवन से सुवालाल गलत दर्ज कर दिया। जिसका सही नाम मुताबिक तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 17.10.2025 के अनुसार सुखलाल है। जिसे दुरुस्त करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजत तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट दिनांक 17.10.2025 व दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार राजगढ की जाँच रिपोर्ट से भी प्रार्थना पत्र तथ्यों के सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आराजी खाता संख्या 132 खसरा नम्बर 1308/0.13 वाके ग्राम कारोठ तहसील राजगढ जिला अलवर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पति का नाम गुडडी देवी पत्नी सुवालाल दर्ज है उसके स्थान पर गुडडी देवी पत्नी सुखलाल दुरुस्त किया जावे तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा भीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला-अलवर

